

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

क्रिया संख्या - 392/2024

मनवान : -

1. विपिन कुमार पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुलाब देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शारदा देवी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजेन्द्र कुमार पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी रुपाना तहसील व जिला सिरसा।
3. सुमन पुत्री राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजेन्द्र कुमार पत्नी विजयपाल जाति जाट निवासी मटोरियां वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88, राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955


डिक्री

दिनांक 19/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व वकील प्रतिवादी श्री सुनील शर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 1 एफटीपी वी के खाता सं० 102/86 में कुल 1.018 है० नहरी आराजी में वादीया सं० 2 व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा तथा इसी चक के खाता सं० 147/85 में कुल 2.7140 है० नहरी आराजी में वादीया सं० 2 व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 प्रत्येक का 63/472 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब०हि०व० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 1 एफटीपी वी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 102 / 86 तथा इसी चक के खाता सं० 147 / 85 में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 का नाम कलमजान किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

आधुनिक (रा) इन्फो अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का टिब्बी साम्य तकमीलन शामिल किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.K.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी